(010)

फार्म 'अ'
(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

...गीय अधिकारी(रा0)के न्यायालय में मामला क्रमांक 202505050100015 / 2024–2025

...–...........वृक्ष काटने की अनुमति बाबत्.................मामले की श्रेणी............अ–62..................सन्.........2024–2025

...म –.......रिस्दी ....बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का कमांक.................तहसील.................कोरबा..............

...लेक्टर का कमांक..............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ....सन्......2024–2025

...हसीलदार का क्रमांक.......................सन्....................................नायब तहसीलदार का क्रमांक....................सन्......................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही मुरित राम साहू बनाम छ0ग0शासन	जहा आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
2/5/25	–आवेदक मुरित राम साहू, निवासी– रिस्दी, तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0 के द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र क्रमांक 25270050600114 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रिस्दी मेन रोड झगरहा –रिस्दी चौक के पास रोड पर 03 नग सरई का वृक्ष सूख गया है। आस पास मकान एवं दुकान है। उक्त 03 नग सूखा सरई को कटवायी जावे। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप–घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। –प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। –प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप –घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में 04 नग सूखा सरई वृक्ष स्थित है, जो शासकीय भूमि पर रिस्दी से झगरहा रोड किनारे स्थित है। –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। – अतः लोकहित की सुरक्षा की दृष्टि से 04 नग सूखा सरई वृक्ष जो शासकीय भूमि पर रिस्दी से झगरहा रोड किनारे स्थित है, जिसे काटने की अनुमति अनुमति दी जाती है। –संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो। अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा छ0ग0 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)	

932
05/05/2025

प्ररूप–ड़

(नियम 7(2) देखिये)

अनुमति

प्रति,

मुरित राम साहू पिता ना0मा0
ग्राम–.रिस्दी
तहसील.–कोरबा, थाना/बालको नगर
जिला.–कोरबा

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने कीअनुमति बाबत्।

विषयान्तर्गत आवेदक मुरित राम साहू, निवासी– रिस्दी, तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0 के द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र कमांक 25270050600114 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रिस्दी मेन रोड झगरहा –रिस्दी चौक के पास रोड पर 03 नग सरई का वृक्ष सूख गया है। आस पास मकान एवं दुकान है। उक्त 03 नग सूखा सरई को कटवायी जावे। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप–घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र कमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप –घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में 04 नग सूखा सरई वृक्ष स्थित है, जो शासकीय भूमि पर रिस्दी से झगरहा रोड किनारे स्थित है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोकहित की सुरक्षा की दृष्टि से 04 नग सूखा सरई वृक्ष जो शासकीय भूमि पर रिस्दी से झगरहा – रोड किनारे स्थित है, जिसे काटने की अनुमति अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 2/5/2025
05/05/2025

पृ0क0 933/अ0वि0अ0/वा0–1/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु। काटे जाने वृक्षों का वन विभाग में लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. तहसीलदार, तहसील–कोरबा को राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)